न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
135/19	08.11.2019	20/12/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

अशोक कुमार आत्मज नन्द किशोर जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. नन्द किशोर आत्मज जगन्नाथ
2. नरोत्तम आत्मज नन्द किशोर जाति मीणा निवासी बमूलिया रावतान तहसील दीगोद
3. निर्मला पुत्री नन्द किशोर पत्नी महावीर जाति मीना निवासी घोडी गांव तहसील मांगरोल जिला बांरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद में प्रतिवादी नं0 1 के खातें में ख0नं0 69 रकबा 1.18 हे0, ख0नं0 134 रकबा 2.09 हे0, ख0नं0 153 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 157 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 240 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 241/387 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 252 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 253 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.40 हे0, ख0नं0 256 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 355 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 12 रकबा 7.19 हे0 भूमि दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खातें दर्ज चली आ रही है, जो पुश्तेनी भूमि है। जिसमें वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का बराबर–बराबर हिस्सा है मौके पर इसी प्रकार काबिज काश्त है। प्रतिवादी नं0 1 अन्य प्रतिवादीगण के बहकावें में आकर उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बैचान करनें पर आमादा है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 का नाम दर्ज करवानें की दिनांक 03.11.2019 को कहा तो वे नाराज हो गये और नाम दर्ज करवानें से इन्कार कर दिया। जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 69 रकबा 1.18 हे0, ख0नं0 134 रकबा 2.09 हे0, ख0नं0 153 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 157 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 240 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 241/387 रकबा 0.07 हे0,

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
दीगोद (कोटा)

ख0नं0 252 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 253 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.40 हे0, ख0नं0 256 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 355 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 12 रकबा 7.19 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को सहखातेदार बराबर–बराबर हिस्से से खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी नं0 4 को निर्देशित किया जावें कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया। उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादी की पहचान वकील श्री शिवप्रसाद शर्मा व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की पहचान वकील श्री रामबाबू दाधीच द्वारा प्रमाणित की गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बम्बूलिया रावतान सं0 2074–77 खाता नं0 34

राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2074–777 खाता नं0 34 के अनुसार विवादित आराजीयात् का प्रतिवादी नं0 1 नन्दकिशोर पुत्र जगन्नाथ जाति मीना खातेदार राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3, नन्दकिशोर की संतान है तथा वादी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 नें मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जानें एवं प्रतिवादी नं0 3 द्वारा अपनें स्वत्व वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिये जानें की स्वीकारोक्ति प्रदान की है। जिससे वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 प्रतिवादी नं0 3 के स्वत्वों को धारण करनें के हकदार प्रकट होते है।

चूंकि प्रकरण पिता एवं संतान के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के परिप्रेक्ष्य में विचारण करनें के उपरान्त संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। जिससे वादी अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें का अधिकारी है।

लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 69 रकबा 1.18 हे0, ख0नं0 134 रकबा 2.09 हे0, ख0नं0 153 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 157 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 240 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 241/387 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 252 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 253 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.40 हे0, ख0नं0 255 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 256 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 355 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 12 रकबा 7.19 हे0 भूमि में वादी अशोक कुमार, प्रतिवादी नं0 2 नरोत्तम को प्रतिवादी नं0 1 नन्दकिशोर के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 3 द्वारा अपनें स्वत्व त्यागनें के परिणामस्वरूप सम्बन्धित

सहायक कलक्टर एवं
... दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (हकत्याग) वसूल कर तहसीलदार पालना प्रेषित करें, रहन यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 20/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

अशोक कुमार आत्मज नन्द किशोर जाति मीणा निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

1. नन्द किशोर आत्मज जगन्नाथ
2. नरोत्तम आत्मज नन्द किशोर जाति मीणा निवासी बमूलिया रावतान तहसील दीगोद
3. निर्मला पुत्री नन्द किशोर पत्नी महावीर जाति मीना निवासी घोडी गांव तहसील मांगरोल जिला बांरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–135 / 19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 69 रकबा 1.18 हे0, ख0नं0 134 रकबा 2.09 हे0, ख0नं0 153 रकबा 0.82 हे0, ख0नं0 157 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 240 रकबा 0.32 हे0, ख0नं0 241/387 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 252 रकबा 0.47 हे0, ख0नं0 253 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 254 रकबा 0.40 हे0, ख0नं0 255 रकबा 0.38 हे0, ख0नं0 256 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 355 रकबा 0.32 हे0 कुल किता 12 रकबा 7.19 हे0 भूमि में वादी अशोक कुमार, प्रतिवादी नं0 2 नरोत्तम को प्रतिवादी नं0 1 नन्दकिशोर के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं0 3 द्वारा अपनें स्वत्व त्यागनें के परिणामस्वरूप सम्बन्धित से नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (हकत्याग) वसूल कर तहसीलदार पालना प्रेषित करें, रहन यथावत् रहेगा।'' तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 20/19/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर एवं
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jabar Singh
Date: 2019.12.21 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested
Location: